सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर–272202

उ०प्र०(भारत) Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23–7–2021 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24–07–2021 में अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित गाइड लाइन एवं अन्य दिशा निर्देश निर्मित करने हेतु गठित NEP टास्क फोर्स/संकायाध्यक्ष समिति द्वारा विश्वविद्यालय हेतु नव निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अस्थायी दिशा निर्देश (NATIONAL EDUCATION POLICY-2020 Tentative Guideline) सत्र 2021–22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होगें।

विश्वविद्यालय में सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 में प्रवेश संलग्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अस्थयी दिशा निर्देश (NATIONAL EDUCATION POLICY-2020 Tentative Guideline) के अनुसार ही किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

(राकेश कुमार)
कुलसचिव

पत्रांक 1123/कु0का0/सि0वि0वि0/2021 दिनांक 26/07/2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी, एन0एस0एस0, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश–सम्बन्धी अस्थायी दिशा निर्देश

National Education Policy-2020: Tentative Guidline

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021; अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश–सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक अस्थाई दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. क्षेत्र :

- यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (बी. टेक, एम.सी.ए. आदि) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- विधि (बी.ए.एल.एल.बी., बी.एससी.एल.एल.बी., एल.एल.बी., एल.एल.एम. इत्यादि) शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम. ड., बी.पीएड., एम.पीएड. इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एनईपी–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जाएगा।

2. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021–22 में स्नातक स्तर में प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नही होंगे।
- तीन विषय वाले सभी स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. आदि) में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

- बी.ए./बी.एससी., बी.कॉम. ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी. बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2022–23 से लागू होगा।
- पीएच.डी. कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी।

3. प्रवेश की व्यवस्था :

- विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से हो सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।
- इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।
- विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक सहायक (माइनर) विषय का अध्ययन करना होगा। इस विषय का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा सहायक चयनित विषय (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो सहायक प्रश्नपत्रों (माइनर पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skil development Courses) पूर्ण करना होगा।

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छह सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. कक्षाओं हेतु समय–सारिणी :

- सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारंभ होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी (Time Table) तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित सहायक विषय (Miner Elective Paper) की कक्षाओं के लिये कोई एक ही समय (Period) समय–सारिणी में निर्धारित किया जाये जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने–अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार इन विषयों की परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिये एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

5. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- पूर्व पात्रता (Pre-requisite) के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा का लाभ लेते हुए छात्र चयनित तृतीय मुख्य विषय मात्र को ही परिवर्तित कर सकेगा।

6. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश :

- विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष

(Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

- विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर के लिए पृथक्–पृथक न्यूनतम 23–23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक् रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।
- पुनः परीक्षा का आयोजन तीन मुख्य विषयों और इलेक्टिव/माइनर विषयों के सन्दर्भ में ही किया जायेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम और सह–पाठ्यक्रम के लिए पुनः परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा।
- पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित अवधि के मध्य छात्र आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार पुनः परीक्षा दे सकता है।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

- थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय 'अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा–निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री; न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का

प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी; परंतु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा– 112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :

- क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परंतु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ :

➢ विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों से 20 प्रतिशत तक या यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त

कर सकेंगे तथा उसके अनुपालन में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।

- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

10. परीक्षा व्यवस्था :

- सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंकों के होगें, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन में 5 अंकों का निर्धारण विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति तथा कार्य–व्यवहार आदि के आधार पर होगा। शेष 20 अंकों के लिये एक लिखित परीक्षा तथा एक प्रदत्त कार्य कराया जा सकता है। प्रयोगात्मक विषयों में असाइनमेंट का स्थान प्रयोगात्मक कार्य ले सकता है। लिखित परीक्षा तथा असाइनमेंट 10–10 अंकों के होंगे और दोनों का योग प्राप्तांक होंगे, जिनमें 5 अंकों के लिये समग्र मूल्यांकन से सम्बन्धित प्राप्तांक जोड़कर विश्वविद्यालय में शेष 75 अंकों के लिये होने वाली मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ने के लिये भेजा जायेगा।
- असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम–से–कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

11. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है–

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ–संलग्नक–1)।
- चौथे वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगीं, जिसे उत्तीर्ण करने

पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

- पांचवे वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगीं, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty उपाधि प्रदान की जायेगी।
- छठें वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शोध) (P.G.D.R.- Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।
- प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति मे उसके आगे के वर्षो में) शोध–प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण या तो शासकीय निर्देशों के अनुसार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध UGC GUIDELINES ON ADOPTION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM द्वारा प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी; महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षो में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

12. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन :

- तीसरे मुख्य विषय/सहायक चयनित विषय (Miner Elective Paper) का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जाएगा।
- माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिए माइनर इलेक्टिव पेपर (चार क्रेडिट का) तैयार करेंगे। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जाएगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएं विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होंगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।
- विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम के उन्ही प्रश्नपत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा जिनका सापेक्षिक क्रेडिट चार हो।
- विद्यार्थी को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए– यदि छात्र–छात्रा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता/करती है तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी। वह यदि प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर

में माइनर विषय चयनित करता/करती है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। यही व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।

- विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर के रूप में लेना चाहता है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है।

13. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय–वर्ग/संकाय के लिए पात्रता (pre-requisite) :

- प्रवेश–प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा– कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इण्टर में चयनित विषय (यथा– विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह 1. गणित, भौतिकी, रसायन; 2. रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान; 3. गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए मेजर/माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- विज्ञान वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अतंर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिजय संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- कला वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतंर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है अथवा हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अर्न्तगत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अतंर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतंर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाईस्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

14. कला संकाय/विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय–संयोजन –

- प्रत्येक विद्यार्थी स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।
- महाविद्यालय अपनी सुविधा और सीमा के दृष्टिगत विषयों का संयोजन/वर्गीकरण इस तरह कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी अपनी सहूलियत के हिसाब से विषय चुन सकें और उनकी मेजर तथा माइनर विषयों की कक्षाओं में अबाध उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

15. **अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular)–**

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा–

- **प्रथम सेमेस्टर** : संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- **द्वितीय सेमेस्टर** : विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awereness)
- **तृतीय सेमेस्टर** : शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- **चतुर्थ सेमेस्टर** : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- **पंचम सेमेस्टर** : खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- **षष्ठ सेमेस्टर** : प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

16. **कौशल–विकास / रोजगारपरक (Skill development/Vocational) पाठ्यक्रम–**

- कौशल–विकास / रोजगारपरक (Skill development/Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के पत्र सं0–602 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020 दिनांक 22 फरवरी, 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।
- कौशल–विकास / रोजगार–परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपर्युक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते है। हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजनी होगी।
- शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल–विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल–विकास के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित करें जिसमें प्रशिक्षण–कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।
- चूँकि कौशल–विकास (Skill Development)/वोकेशनल प्रशिक्षण–कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों को शासन से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है, अतः विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधनों के आंकलन के उपरान्त कौशल–विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण का शुल्क–निर्धारण अपने स्तर से No-Profit-No-Loss के आधार पर किया जायेगा और उसकी सूचना महाविद्यालयों को दी जायेगी।
- यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट–सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल–विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु वोकेशनल कार्यक्रमों की सन्दर्भ–सूची निम्नवत् दी जा रही है–

Fashion Designing, Tailoring and Embroidery, Photography and Videographer, Financial Management, Information Technology, Yoga, Computer Application, Tourism & Hospitality, Medical Laboratory Technology, Ophthalmic Technician, Multipurpose Health Worker(Female), Automobile, Food Processing, Carpentry, Electrician, Plumbing, Web Designing, Bakery and Confectionery, Stenography (Hindi & English), Typewriting (Hindi & English) Accountancy and Auditing, Horticulture, Foreign Language, Event Management, Pottery Banking and Finance, Beautician, Clinical Psychology, Cookery, House Keeping, Journalism & Mass Communication , Disaster Management, Physical Fitness and Gym Trainer, Handicraft, Jewelry Design, Marketing & Salesmanship, Legal Services Assistance, Physiotherapy Technician, Interior Design and Decoration, Crop Production and Management, Fisheries, Dairying, Sericulture, Refrigeration & air Conditioning, Hospital and Health Care Management, Clinical Biochemistry, Clinical Microbiology, Translation, Music, Computer Skil etc .

- कौशल–विकास/रोजगार–परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय साप्ताहिक आधार पर आधे या एक दिन का प्रशिक्षण–कार्यक्रम संचालित करेंगे।

- कौशल–विकास/रोजगार परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय–वस्तु (Study/Training Course Content/Module) का निर्धारण महाविद्यालय अपने स्तर से करते हुए उसे अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

17. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 जिला समन्वयक समिति :**

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं के समुचित आदान–प्रदान, तत्सम्बन्ध में समस्याओं के त्वरित निदान और सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 'एन.ई.पी. टास्क फोर्स' और सम्बद्धता परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में 'एन.ई.पी.–2020 जिला समन्वय समिति' का गठन किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय स्तर पर गठित एन0ई0पी0–टास्क फोर्स में सम्बद्धता परिक्षेत्र के 06 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राचार्य–गण सम्बन्धित जिले के सन्दर्भ में एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति'' के अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे।
- जिला–समिति के सदस्य आनुपातिक रूप से क्षेत्र के महाविद्यालयों को चयनित करते हुए उनसे एन0ई0पी0–2020 को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करेंगे।
- जिला समिति के अध्यक्ष नियमित अन्तराल पर समिति की बैठक करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार टास्क–फोर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

18. **परीक्षा शुल्क:**

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में वार्षिक आधार पर संचालित समस्त पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 05 वर्षो से सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे। इस कारण सत्र 2021–22 में स्नातक प्रथम वर्ष से प्रारम्भ कर क्रमागत वर्षो में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की वर्ष में दो बार परीक्षाएं सम्पन्न करानी होंगीं। अतः विश्वविद्यालय के अन्य संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में वर्तमान में

प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व परीक्षा–शुल्क जमा कराये जाने की व्यवस्था तद्सम्बन्ध में भी जारी रहेगी।

19. शोध परियोजना :

- स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।
- विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठ वर्ष के मुख्य विषय से संबंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Desertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जाएगा।
- स्नातक स्तर एवं पीजीडीआर के विद्यार्थी की ग्रेड सीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परंतु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

(डॉ0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह) अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	(डॉ0 असलम सिद्दीकी) अधिष्ठाता, विधि संकाय	(प्रो0 दीपक बाबू) अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
(डॉ0 राजेश कुमार सिंह) अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	(प्रो0 हरीशकुमार शर्मा) अधिष्ठाता, कला संकाय	(श्री राकेश कुमार) कुलसचिव